दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह बनाने के लिए दिल्ली निवासियों की ओर से अभ्यावेदन

*573. श्री शिवकुमार शास्त्री : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली निवासियों ने दिल्ली को शुष्क बन्दरगाह बनाने के लिये उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों ने समय समय पर सरकार को अभ्यावेदन दिये हैं कि शुष्क पत्तन दिल्ली में स्थापित किया जाये।

(ख) सरकार प्रस्थापना पर विचार कर रही है।

Delay in Issue of Import Licences and Release Orders

*574 SHRI M. C DAGA Will the Minister of COMMERCE be pleased to state

(a) whether the office of the Chief Controller of Import and Export takes too much time in issuing import licences and release orders,

(b) the minimum time required in issuing the licences for the cases which have been recommended by the DGTD, and

(c) whether Government propose to adopt some method which can curtail the time in issuing the licences to the industries?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) (a) No, Sir

(b) Time limits have been prescribed for disposal of applications for import licences according to which import licences for raw materials are required to be issued within 30 days of the receipt of the application complete in all respect

(c) The procedure adopted for dealing with import applications is reviewed on a continuous basis and various steps are taken to curtail the time in issuing the licences

वर्ष 1974 में जाली मुद्रा बनाने संबंधी मामले

5298. श्री जगन्नाथ प्रधान : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 1974 में और विशेषकर गत 6 महीनों में जाली नोट और सिक्के बनाने के कितने मामले पकड़े गये, और

(ख) इसको रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या नये कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

(ख) करेंसी व बैंक नोटों की जालसाजी के अपराधों के प्रसंग में इस देश के कानून में पहले से ही निवारक दण्ड की व्यवस्था है। ऐसे अपराधों के मामले में राज्य के पुलिस अधिकारी कार्यवाही करते हैं और वे ऐसे मामलों पर बराबर नजर रखते हैं और जब जब उन्हें किसी व्यक्ति द्वारा जाली नोट बनाये जाने की सूचना मिलती है तब तब वे छापे मारते हैं। केन्द्रीय जांच ब्यूरो भी मुद्रा की जालसाजी में अपनाये जाने वाले विभिन्न तकनीकों का रिकार्ड रख तथा बाजार में ऐसी मुद्रा के आने की समय समय पर जांच कर भारतीय मुद्रा की जालसाजी की समस्या का लगातार अध्ययन करता रहता है। इसने जाली नोट

बनाने के गौर अपराधो की छानबीन करने तथा राज्यो मे की जाने वाली जाच पडताल के काम मे समन्वय लाने के लिए अपनी आर्थिक अपराध प्रशाखा मे एक कार्यालय भी खोला है ।

जहा तक जाली सिक्को का सबध है रिजर्व बैंक आफ इण्डिया की सभी शाखाए तथा उसकी एजेंसिया इडियन क्वाइनज एक्ट, 1906 (1906 का तीसरा) की धारा 20 मे विहित व्यवस्था के अनुसार कार्रवाही कर रही हैं । किन्तु रिजर्व बैंक उन मामलो की सूचना पुलिस को तत्काल दे देता है जहा किसी टैंडर मे काफी सख्या मे जाली सिक्के पाये जाते है ।

मध्य प्रदेश में हथकरघा उद्योग का विकास

5299. श्री गंगा चरण दीक्षित : क्या वाणिज्य मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) पाचवी योजना म मध्य प्रदेश म हथकरघा उद्योग के विकास के लिये कितनी राशि रखी गई है, और

(ख) इस उद्देश्य के लिये किन मदा ई ? किन लेखा शीर्षो क अन्दर यह राशि रखी है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री : विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश राज्य की पाचवी योजना के मसौदे मे हथकरघा उद्योग के विकास के लिय 1 करोड रु० अनन्तिम राशि रखी गई है । पाचवी पचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दे दिये जाने पर इस अनन्तिम राशि का पुनरीक्षण किया जा सकता है । हथकरघा उद्योग के लिये राज्य की पांचवी योजना के मसौदे में रखे विकास कार्यक्रम में हथकरघा कपड़े की बिक्री पर छूट, विद्यमान तथा नई सहकारी कताई मिलो की शेयर पूजी में भागीदारी, शीर्ष-बुनकर सहकारी समिति को मार्जिन धन के लिये ऋण, कमजोर सहकारी समितियों के पुनर्गठन भारतीय रिजर्व बैंक की वित्त पोषण योजना के अन्तर्गत बुनकर सहकारी समितियो को ऋण पर लगने वाले ब्याज के सम्बन्ध मे उपदान, बुनकर सहकारी समितियों की शेयरपूजी म राज्य की भागीदारी आदि से सम्बन्धित कार्यक्रम शामिल है

Incentives to Weavers

5300 **PROF NARAIN CHAND PARASHAR Will the Minister of COMMERCE** be pleased to state

(a) whether there is any scheme to give incentives to the Weavers in the country to earn their livelihood by their old profession of weaving, and

(b) if so, whether there are any arrangements under which regular supply of Yarn is to be provided to these weavers?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI VISHWANATH PRATAP SINGH) (a) and (b) The handloom industry is being developed both by the State and Central Governments through State and Central Schemes respectively While all day to day development and welfare of the weavers is looked after by the State Governments, the Central Government, besides giving financial assistance in the farm of block loans and grants to the States for development of the industry, provide the infra-structure for technical assistance to the industry on an all India basis The various schemes undertaken by the Central and State Governments are for the betterment of the handloom weavers and to enable them to earn their living through their traditional profession of weaving These schemes *inter alia* include—

(a) providing working capital loans at concessional rate of interest from the Reserve Bank of India through the State Cooperative Banks.